बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब 611 प्रकार की दवाएँ मुफ्त में मिलेंगी, बिहार सरकार ने जारी की गाइड लाइन

चर्चा में क्यों?

16 दिसंबर, 2022 को बिहार सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। नये नियम के मुताबिक अब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को 611 प्रकार की दवाएँ मुफ्त में मिलेंगी।

प्रमुख बिंदु

- नयी-नयी बीमारियाँ सामने आने के बाद सरकार ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं के वितरण को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत अब मरीजों को निजी दुकानों से दवा नहीं खरीदनी पड़ेगी।
- सरकार की ओर से जारी नये संकल्प में मेडिकल कॉलेज से लेकर ज़िला अस्पताल व स्वास्थ्य उपकेंद्र तक के अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी में कुल 611 प्रकार की दवाओं के वितरण करने का निर्णय लिया गया है।
- बिहार के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी-
    - मेडिकल कॉलेज: ओपीडी-356, आईपीडी-256
    - ज़िला अस्पताल: ओपीडी-287, आईपीडी-169
    - अनुमंडलीय अस्पताल: ओपीडी-212, आईपीडी-101
    - सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: ओपीडी-212, आईपीडी-97
    - रेफरल अस्पताल: ओपीडी-203, आईपीडी-98
    - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: ओपीडी-201, आईपीडी-93
    - शहरी पीएचसी: ओपीडी-180
    - अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: ओपीडी-140, आईपीडी-53
    - हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर: ओपीडी-151
    - स्वास्थ्य उपकेंद्र टेलीमेडिसिन: ओपीडी-97
    - स्वास्थ्य उपकेंद्र एल1: ओपीडी-72
    - स्वास्थ्य उपकेंद्र: ओपीडी-32
- मानसिक विज्ञान केंद्र कोइलवर: ओपीडी-144

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/now-611-types-of-medicines-will-be-available-free-of-cost-in-government-hospitals-of-bihar